[2019] 12 एस. सी. आर 881

दुर्गेबाई देशमुख स्मारक

एस. आर. एसईसी। स्कूल और ए. एन. आर.

वी.

जे. ए. जे. वासु सेना और ए. एन. आर.

(2019 की सिविल अपील No.5926)

21 अगस्त, 2019

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और

अनिरुद्ध बोस, जे. जे.]

दिल्ली विद्यालय शिक्षा नियम, 1973 आर। 105 - परिवीक्षा -

सेवा की मानित पुष्टि-पहला प्रतिवादी 01.07.2008 पर एक साल की अवधि के लिए परिवीक्षा पर सेवा में शामिल हुआ, हालांकि, वह लगभग पांच साल तक परिवीक्षाधीन के रूप में जारी रही-इसके बाद, उसे 30.06.2013 से सेवा से छुट्टी दे दी गई-उच्च न्यायालय ने कहा कि आर। 105 दो साल की अधिकतम परिवीक्षा अवधि तय करता है

और अधिकतम अवधि से परे सेवा की निरंतरता निहितार्थ द्वारा सेवा की मानी गई पुष्टि के बराबर होगी, यहां तक कि पुष्टि के आदेश जारी किए बिना-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया: यह उच्चतम न्यायालय की निरंतर मिसाल से सामने आया है कि जहां प्रासंगिक नियम या नियुक्ति पत्र निर्धारित करता है

सेवा की पुष्टि के लिए एक शर्त पूर्ववर्ती है, केवल इसलिए सेवा की कोई मानी गई पुष्टि नहीं है क्योंकि एक परिवीक्षाधीन की सेवाओं को परिवीक्षा की अवधि से परे जारी रखा जाता है-यह केवल पुष्टि का आदेश जारी करने पर है कि परिवीक्षाधीन को उस पद पर पर्याप्त नियुक्ति दी जाती है R.105 (2) पुष्टि के आदेश जारी करने के लिए एक शर्त पूर्ववर्ती के रूप में नियुक्ति प्राधिकारी की संतुष्टि को निर्धारित करता है।

-

तत्काल मामले में, पुष्टि का कोई आदेश नहीं था और नियुक्ति पत्र में यह भी निर्धारित नहीं किया गया था कि पहले प्रतिवादी की पुष्टि परिवीक्षाधीन अवधि की समाप्ति पर की जाएगी।

परिवीक्षाधीन को सेवा की मानित पुष्टि का अधिकार नहीं दिया

हालाँकि, चूंकि प्रतिवादी लगभग एक परिवीक्षाधीन के रूप में जारी रहा

आर के उल्लंघन में पांच साल। 105 नियुक्ति पत्र के साथ-साथ, प्रत्यर्थी ने रुपये के अनुग्रह मुआवजे का पुरस्कार प्रदान किया। इसलिए, उच्च न्यायालय के आदेश ने अब तक, पहले प्रत्यर्थी की सेवाओं को अलग करने की पुष्टि की है।

[2019] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दिल्ली विद्यालय शिक्षा नियम, 1973 - r.105-"दूसरे द्वारा

वर्ष का अर्थ-आयोजित: "एक और वर्ष तक" शब्दों के सरल पठन का तात्पर्य है कि किसी संस्थान का नियुक्ति प्राधिकरण पूर्व अनुमोदन के साथ परिवीक्षा के अनिवार्य वर्ष के अलावा परिवीक्षा की अवधि को एक अतिरिक्त वर्ष तक बढ़ा सकता है।

इसलिए, 1973 के नियमों के निदेशक-R.105 (1) ने कुल परिवीक्षा अवधि को दो साल तक सीमित कर दिया है।

सबसे पहले

परंतुक में कहा गया है कि निदेशक का पूर्व अनुमोदन नहीं होगा

अल्पसंख्यक संस्थान के मामले में आवश्यक होगा।

क़ानूनों की व्याख्या-सामान्य और शाब्दिक निर्माण

शब्दों में से-आयोजित: यह कानून की एक स्थिर स्थिति है कि जहां किसी क़ानून के शब्द स्पष्ट और असंदिग्ध हैं, वहां उनकी व्याख्या उनके सामान्य व्याकरणिक अर्थों में की जानी चाहिए, जब तक कि व्याख्या एक बेतुका परिणाम की ओर नहीं ले जाती है-यह केवल वहीं है जहां एक क़ानून की भाषा, अपने सामान्य अर्थ और व्याकरणिक निर्माण में, एक स्पष्ट विरोधाभास की ओर ले जाती है, या कुछ असुविधा या बेतुकी, कठिनाई या अन्याय की ओर ले जाती है, कि उस पर एक निर्माण किया जा सकता है जो शब्दों के अर्थ को संशोधित करता है।

एक परंतुक के उद्देश्य की क़ानून की व्याख्या-आयोजित: यह.

कानून की एक स्थिर स्थिति है कि एक परंतुक का उद्देश्य मुख्य धारा से एक वर्ग या श्रेणी को बनाना है जिस पर मुख्य धारा लागू नहीं होती है-एक परंतुक को प्रथम दृष्टया उस प्रमुख मामले के संबंध में पढ़ा और विचार किया जाना चाहिए जिसके लिए यह एक परंतुक है-यह एक अलग या स्वतंत्र अधिनियम नहीं है।

अपीलार्थी-दिल्ली प्रशासन सहायता प्राप्त स्कूल और एक

भाषाई अल्पसंख्यक संस्थान ने एक वर्ष की अवधि के लिए 18.7.2008 पर पीजीआई (अंग्रेजी जनरल) के पद के लिए परिवीक्षा पर पहले प्रतिवादी को नियुक्त किया। प्रतिवादी लगभग पाँच वर्षों तक परिवीक्षाधीन के रूप में बना रहा। इसके बाद उन्हें सेवा से छुट्टी दे दी गई। पीड़ित, प्रथम प्रतिवादी ने दिल्ली स्कूल ट्रिब्यूनल के समक्ष एक अपील दायर की, जिसे अनुमति दी गई और आरोपमुक्त करने के

आदेश को रद्द कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पहले प्रतिवादी को लगभग पाँच वर्षों तक सेवा में बने रहने की अनुमति देने में प्रबंधन का आचरण पहले प्रतिवादी के संतोषजनक आचरण का प्रमाण देता है और इसके परिणामस्वरूप सेवा की मानित पुष्टि होती है। इसलिए, वर्तमान अपील।

दुर्गाबाई देशमुख मेमोरियल एस. आर. एसईसी। स्कूल वी. जे. ए. जे. वासु सेना

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

नियम, 1973 और नियम 105 (1) के पहले परंतुक में अनुमेय परिवीक्षा की कुल अवधि को दो साल तक सीमित किया गया है। 1.1 कानून के शब्दों को उस अर्थ में समझा जाना चाहिए जिसमें वे विषय के साथ सबसे अच्छा सामंजस्य रखते हैं।

एक कर्मचारी का प्रदर्शन। यह परिवीक्षाधीनों के लिए अपने काम के आधार पर स्थापित करने के अवसर के रूप में कार्य करता है जो है परिवीक्षा अवधि के दौरान प्रदान किया गया कि वे सेवा में बनाए रखने के लिए उपयुक्त हैं। नियोक्ता की ओर से, परिवीक्षा नियुक्ति प्राधिकारी को सेवा में प्रतिधारण के लिए परिवीक्षाधीन की उपयुक्तता निर्धारित करने में सक्षम बनाती है।

[पैरा 23] [898-सी-डी]

1.2 "एक और वर्ष तक" शब्दों के सरल पठन का तात्पर्य है कि किसी संस्थान के नियुक्ति प्राधिकरण का विस्तार हो सकता है

निदेशक के पूर्व अनुमोदन के साथ परिवीक्षा के अनिवार्य वर्ष के अलावा एक अतिरिक्त वर्ष के लिए परिवीक्षा की अवधि। इसलिए 1973 के नियमों के नियम 105 (1) में कुल परिवीक्षा अवधि को दो साल तक सीमित किया गया है। पहला परंतुक यह निर्धारित करता है कि अल्पसंख्यक संस्थान के मामले में निदेशक के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। [पैरा 25] [899-बी]

1.3 अपीलार्थी ने तर्क दिया कि नियम 105 (1) के पहले परन्तुक में "एक और वर्ष तक" शब्दों को परिवीक्षा की कुल अवधि को दो वर्ष तक सीमित करने के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है। तर्क का आग्रह किया गया

अपीलार्थियों द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है। नियम 105 (1) के प्रमुख भाग में आने वाले "एक और वर्ष तक" शब्दों को एक अतिरिक्त वर्ष का संकेत देने के लिए उनका स्पष्ट और शाब्दिक अर्थ दिया जाना चाहिए। किसी संस्थान का नियुक्ति प्राधिकरण परिवीक्षा की अवधि को एक वर्ष की प्रारंभिक अवधि के अलावा एक अतिरिक्त वर्ष के लिए बढ़ा सकता है। यह अल्पसंख्यक संस्थानों पर भी समान रूप से लागू होता है। सबसे पहले

परंतुक में कहा गया है कि [2019] 12 एस. सी. आर. से संबंधित उप-नियम के प्रावधान।

एक अतिरिक्त वर्ष तक परिवीक्षा अवधि की आवश्यकता नहीं होगी। इस दृष्टिकोण से, 1973 के नियमों के नियम 105 (1) में "एक और वर्ष तक" शब्द परिवीक्षा की अधिकतम अनुमेय अवधि को सीमित करते हैं - दो साल। यह समान रूप से अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू होता है।

नियम 105 के पहले परंतुक द्वारा। [पैरा 29 और 33] [902-ए-सी; 905-ए]

2. क्या 1973 के नियमों में सेवा में परिवीक्षाधीन की पुष्टि के लिए पुष्टि का आदेश जारी करने की आवश्यकता है।

2.1 मान लीजिए, नियुक्ति पत्र में यह निर्धारित नहीं किया गया है कि पहले प्रतिवादी की समाप्ति पर पुष्टि की जाएगी परिवीक्षा अवधि। नियम 105 (2) में कहा गया है कि पुष्टि का आदेश जारी किया जा सकता है यदि

परिवीक्षा अवधि के दौरान कर्मचारी संतोषजनक पाया जाता है। नियम 105 (2) पुष्टि का आदेश जारी करने के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त निर्धारित करता है। यह केवल तभी है जब नियुक्ति

प्राधिकारी परिवीक्षाधीन के प्रदर्शन से संतुष्ट है कि पुष्टि का आदेश जारी किया जा सकता है। नियम 105 (2) में एक स्पष्ट शर्त है जिसमें आदेश जारी करने की आवश्यकता होती है -

नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अपने मूल्यांकन पर पुष्टि कि परिवीक्षाधीन का प्रदर्शन संतोषजनक रहा है। परिवीक्षाधीन की सेवाओं को परिवीक्षाधीन अवधि से परे जारी रखने से सेवा में मानित पुष्टि नहीं होती है। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पुष्टि का आदेश जारी होने पर ही परिवीक्षाधीन को मंजूरी दी जाती है।

पद पर मूल नियुक्ति। [पैरा 35] [905-एफ-एच; 906-ए]

2.2 इस न्यायालय की पूर्ववर्ती की सुसंगत रेखा से यह सामने आता है कि जहां प्रासंगिक नियम या नियुक्ति पत्र सेवा की पुष्टि के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त निर्धारित करता है, वहां सेवा की कोई मानित पुष्टि केवल इसलिए नहीं की जाती है क्योंकि परिवीक्षाधीन की सेवाएं इस अवधि से आगे भी जारी रहती हैं।

परिवीक्षाधीन। पुष्टि का आदेश जारी होने पर ही परिवीक्षाधीन को उस दुर्गेबाई देशमुख स्मारक एस. आर. में महत्वपूर्ण नियुक्ति दी जाती है।

एसईसी। स्कूल वी. जे. ए. जे. वासु सेना

पोस्ट करें। नियम 105 (2) पुष्टि के आदेश के जारी होने की पूर्व शर्त के रूप में नियुक्ति प्राधिकारी की संतुष्टि को निर्धारित करता है। प्रथम प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील द्वारा दिया गया तर्क कि अवधि की समाप्ति के बाद भी सेवा जारी रखने पर एक मानी हुई पुष्टि है। परिवीक्षा को नियम 105 (2) की स्पष्ट भाषा द्वारा नकार दिया जाता है। इस दृष्टिकोण से, परिवीक्षा की अवधि से परे सेवाओं की निरंतरता परिवीक्षाधीन को सेवा की मानित पुष्टि का हकदार नहीं बनाएगी। उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की है कि एक मानित पुष्टि है जहां एक परिवीक्षाधीन की सेवाओं को परिवीक्षाधीन अवधि की समाप्ति के बाद भी जारी रखा जाता है। [पैरा 38] [908-ई-जी]

3. वर्तमान मामले में, 18 जून 2008 के पहले प्रतिवादी के नियुक्ति पत्र में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया था कि अवधि

परिवीक्षा की अवधि शामिल होने की तारीख से एक वर्ष होगी। " नियम 105 परिवीक्षाधीन अवधि को एक और वर्ष के लिए बढ़ाने का प्रावधान करता है। पहला प्रतिवादी 1 जुलाई 2008 को एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर सेवा में शामिल हुआ। परिवीक्षा की अवधि 1 जुलाई 2009 को समाप्त होनी थी, जिसे नियम 105 के तहत एक साल के लिए बढ़ाया जा सकता था। परिवीक्षा की अवधि थी

11 फरवरी, 2010 को इस आधार पर एक और वर्ष के लिए देर से बढ़ाया गया कि पहले प्रतिवादी की सेवाएं थीं असंतोषजनक। 30 नवंबर, 2011 को परिवीक्षा की अवधि को एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। 22 मई, 2013 को शिक्षा समिति की प्रबंध समिति ने पहला कार्य पूरा किया।

30 जून 2013 से सेवा से प्रतिवादी।

[पैरा 47] [912-जी-एच; 913-ए]

4. पहले प्रतिवादी को 1973 के नियमों के नियम 105 का उल्लंघन करते हुए लगभग पांच साल तक परिवीक्षाधीन के रूप में जारी रखा गया था।

साथ ही 18 जून 2008 का नियुक्ति पत्र। पुष्टि का कोई आदेश नहीं था। यद्यपि प्रथम प्रत्यर्थी पुष्टिकरण आदेश जारी किए बिना सेवा की मानित पुष्टिकरण का दावा नहीं कर सकता है, संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय करने की इस न्यायालय की शक्ति का उचित तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए। जबकि कोई मानी हुई पुष्टि नहीं हो सकती है प्रथम प्रत्यर्थी के पक्ष में, राहत को अनुग्रह राशि के पुरस्कार द्वारा उपयुक्त रूप से ढाला जा सकता है।

एक शिक्षक जो [2019] 12 एस।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उसने अपने जीवन के पाँच मूल्यवान वर्ष बिताए हैं और अब कहीं और उपयुक्त रोजगार पाने के लिए समाप्त हो सकता है। एक प्रबंधन जिसने कानून की अवहेलना की है, वह पी शर्तें होनी चाहिए, जिसे यह न्यायालय अनुच्छेद के तहत करने का प्रस्ताव करता है।

[पैरा 48] [913-बी-सी]

तहसीलदार सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य [1959] 2 पूरक। एससीआर 875; जीएस रामास्वामी बनाम। इंस्पेक्टर

पुलिस महानिदेशक [1964] 6 एस. सी. आर. 279-इसके बाद आया।

एमपी का उच्च न्यायालय बनाम। सत्य नारायण झावर (2001) 7 एस. सी. सी. 161 [2001] 1 पूरक। एससीआर 532; महाराष्ट्र

राज्य वित्तीय निगम बनाम। जेसी ड्रग्स और

फार्मास्युटिकल्स प्रा. लिमिटेड (1991) 2 एससीसी 637: [1991] 1 एस. सी. आर. 480; एच. पी. राज्य बनाम। पवन कुमार (2005) 4 एस. सी. सी. 550; सी. आई. टी. बनाम। इंडो-मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड [1959] 2 एससीआर सप्लीमेंट। 256 ; द्वारका प्रसाद बनाम. द्वारका दास सराफ

[1976] 1 एस. सी. आर. 277; केदार नाथ बहल बनाम। पंजाब राज्य (1974) 3 एस. सी. सी. 21; हेडमास्टर, लॉरेंस स्कूल, लवडेल बनाम। जयंती रघु (2012) 4 एससीसी 793: [2012]

2 एस. सी. आर. 492-पर निर्भर। पंजाब राज्य बनाम। धरम सिंह एयर 1968 एससी 1210:

[1968] एससीआर 1-विशिष्ट।

राजस्थान राज्य बनाम। बाबू राम (2007) 6 एस. सी. सी. 55:

[2007] 7 एससीआर 939; एस सुंदरम पिल्लई बनाम। वीआर

पट्टाबीरमन (1985) 1 एस. सी. सी. 591: [1985] 2 एससीआर 643; जेके इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। कारखानों और बॉयलर के मुख्य निरीक्षक (1996) 6 एस. सी. सी. 665: [1996] 6 पूरक। एससीआर 798; होलानी ऑटो लिंक्स (पी) लिमिटेड बनाम। मध्य प्रदेश राज्य (2008) 13 एस. सी. सी. 185 [2008] 7 एस. सी. आर. 168; नगर निगम, रायपुर बनाम।

अशोक कुमार मिश्रा (1991) 3 एससीसी 325: [1991] 2 एस. सी. आर. 320; जय किशन बनाम पुलिस आयुक्त (1995) 3 सप्लीमेंट। एससीसी 364: [1995] 3 एस. सी. आर. 268; पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह खोसला (1996) 9 एससीसी 190: [1996] 1 पूरक। एस. सी. आर. 600; मुख्य जी. एम., भारतीय स्टेट बैंक बनाम। बिजय कुमार मिश्रा (1997) 7 एस. सी. सी. 550: [1997] 4 पूरक। एस. सी. आर. 214; डी. शिक्षा निदेशक v. वीणा शर्मा (2010) 175 डी. एल. टी. 311 (डी. बी.); उत्तर प्रदेश राज्य बनाम। सी टोबिट [1958] एससीआर 1275; संतासिंह बनाम।

राज्य आर. जी. ए. बी. ए. आई. देशमुख स्मारक एस. आर. एसईसी। स्कूल जे. ए. जे. वासु सेना

(2004) 8 एससीसी 387: [2004] 4 पूरक। एससीआर 127; सीमा शुल्क आयुक्त (आयात), मुंबई बनाम। दिलीप कुमार एंड कंपनी (2018) 9 एस. सी. सी. 1: [2018] 7 एस. सी. आर. 1191-संदर्भित। न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह द्वारा वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत, 14 वीं संस्करण। , पी पर। 91 - संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[1968] एससीआर 1

प्रतिष्ठित

पैरा 6

[2001] 1 पूरक। एससीआर 532

उस पर भरोसा करें

पैरा 6

[1958] एससीआर 1275

संदर्भित किया गया है

पैरा 23

[1977] 1 एससीआर 229

संदर्भित किया गया है

पैरा 23

[2004] 4 पूरक। एस. सी. आर. 127 को संदर्भित किया गया

पैरा 23

[1991] 1 एससीआर 480

उस पर भरोसा करें

पैरा 28

(2005) 4 एससीसी 550

उस पर भरोसा करें

पैरा 28

[2007] 7 एससीआर 939

संदर्भित किया गया है

पैरा 28

[2018] 7 एससीआर 1191

संदर्भित किया गया है

पैरा 28

[1959] 2 पूरक। एससीआर 875

पीछा किया।

पैरा 31

[1959] 2 पूरक। एससीआर 256

उस पर भरोसा करें

पैरा 32

उस पर भरोसा करें

[1976] 1 एससीआर 277

पैरा 32

[1985] 2 एससीआर 643

संदर्भित किया गया है

पैरा 32

[1996] 6 पूरक। एससीआर 798

संदर्भित किया गया है

पैरा 32

[2008] 7 एससीआर 168

पैरा 32

संदर्भित किया गया है

[1964] 6 एससीआर 279

पीछा किया।

पैरा 36

(1974) 3 एससीसी 21

उस पर भरोसा करें

पैरा 36

एससीआर 320

[1991] 2

पैरा 36

संदर्भित किया गया है

[1995] 3 एससीआर 268

संदर्भित किया गया है

पैरा 36

[1996] 1 पूरक। एससीआर 600

संदर्भित किया गया है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1997] 4 पूरक। एससीआर 214

संदर्भित किया गया है

पै

रा 36

[2012] 2 एससीआर 492

संदर्भित किया गया है

पै

रा 37

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.5926

2019 .

उच्च न्यायालय के 07.05.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

नई दिल्ली में एल. पी. ए. No.17/2018 में।

यशोबंत दास, वरिष्ठ अधिवक्ता। , राजेश श्रीवास्तव, हनु भास्कर,

सुश्री शुभांगी राठौर, सुश्री सुरेश कुमारी, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

सुश्री माधवी दीवान, ए. एस. जी. डी. राम कृष्ण रेड्डी, श्रीमती डी.

भारती रेड्डी, सुश्री निवेदिता नायर, सुश्री मंजुला गुप्ता, बी. वी. बलराम दास, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

1. वर्तमान अपील एक खंड पीठ के फैसले से उत्पन्न होती है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 7 मई 2018 को एक विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को लेटर पेटेंट अपील में दरकिनार कर दिया। 1 डिवीजन बेंच ने पहले प्रतिवादी की सेवाओं की मानित पुष्टि को स्वीकार कर लिया जो अपीलार्थियों के स्कूल में परिवीक्षाधीन था।

2. प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा दायर अपील को अनुमति देते हुए, प्रभाग

पीठ ने कहा कि दिल्ली स्कूल शिक्षा नियम 1973,2 के पहले प्रावधान के साथ पठित नियम 105 (1) के तहत अनुमेय परिवीक्षा की अधिकतम अवधि दो साल है। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक माना जाता है

एक परिवीक्षाधीन की सेवाओं की पुष्टि जो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पुष्टि के आदेश के जारी किए बिना भी, परिवीक्षा की अधिकतम अवधि से परे सेवा में बनी हुई है। पीड़ित, अपीलार्थी स्कूल और आंध्र एजुकेशन सोसाइटी 3 इस न्यायालय के समक्ष अपील में हैं।

3. अपीलार्थी दिल्ली प्रशासन द्वारा सहायता प्राप्त एक स्कूल है और

भाषाई अल्पसंख्यक संस्थान। अपीलार्थी स्कूल में विभिन्न पदों को भरने के लिए एक विज्ञापन के अनुसार, पहले प्रतिवादी को 18 जून 2008 को एक वर्ष की अवधि के लिए पीजीटी (अंग्रेजी जनरल) के पद पर परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया था। परिवीक्षा की अवधि को देर से बढ़ाया गया था

1 एल. पी. ए. सं. 86/2018

2 1973 नियम

3 3 एजुकेशन सोसाइटी दुर्गाबाई देशमुख मेमोरियल एस. आर. एसईसी। स्कूल वी. जे. ए. जे. वासु सेना [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

11 फरवरी, 2010 एक और वर्ष के लिए इस आधार पर कि पहले प्रतिवादी की सेवाएं असंतोषजनक थीं। 30 नवंबर 2011 को परिवीक्षा की अवधि को एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। 22 मई 2013 को, सोसाइटी की प्रबंध समिति जो स्कूल का संचालन करती है, ने 30 जून 2013 से पहले प्रतिवादी को सेवा से छुट्टी दे दी।

4. प्रथम प्रतिवादी ने दिल्ली स्कूल ट्रिब्यूनल के समक्ष एक अपील दायर की, जिसमें परिणामी लाभों और पिछले वेतन के साथ बहाली के अनुरोध के साथ उनके आरोपमुक्त होने को चुनौती दी गई। 23 जुलाई 2015 के अपने आदेश द्वारा, न्यायाधिकरण ने अपील की अनुमति दी और अपीलार्थियों को पहले प्रतिवादी को बहाल करने के निर्देश के साथ आरोपमुक्त करने के आदेश को रद्द कर दिया।

परिणामी लाभ। न्यायाधिकरण के आदेश को स्वीकार करते हुए, अपीलकर्ताओं ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की।

5. दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने याचिका को स्वीकार कर लिया और कहा कि नियुक्ति पत्र या 1973 के नियमों में परिवीक्षा की कोई अधिकतम अवधि नहीं बताई गई थी। सेवा की कोई भी पुष्टि परिवीक्षाधीन के काम और आचरण के संतोषजनक होने के अधीन है। इसलिए, प्रथम प्रत्यर्थी की सेवाओं को परिवीक्षा की अवधि से परे जारी रखने के परिणामस्वरूप नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पुष्टि का आदेश जारी किए बिना सेवा की मानित पुष्टि नहीं की गई थी।

6. उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने प्रथम प्रतिवादी द्वारा दायर लेटर्स पेटेंट अपील को स्वीकार कर लिया और न्यायाधिकरण के आदेश को बहाल कर दिया। उच्च न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि:

(i) 1973 के नियमों के नियम 105 में दो साल की अधिकतम परिवीक्षा अवधि निर्धारित की गई है और अधिकतम अवधि से आगे सेवा जारी रखना, पुष्टिकरण का आदेश जारी किए बिना भी, निहितार्थ से सेवा की मानित पुष्टि के बराबर होगा; और

((ii) 18 जून 2008 के नियुक्ति पत्र में एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि निर्धारित की गई थी। प्रथम प्रत्यर्थी को लगभग पाँच वर्षों तक सेवा में बने रहने की अनुमति देने में प्रबंधन का आचरण प्रथम प्रत्यर्थी के संतोषजनक आचरण का प्रमाण देता है, और इसके परिणामस्वरूप

सेवा करते हैं।

4 अपील सं. 54/2013

5 न्यायाधिकरण 6 डब्ल्यूपी (सी) संख्या 10310/2015 [2019] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले पर भरोसा करते हुए

पंजाब राज्य बनाम धरम सिंह 7 ("धरम सिंह"), उच्च न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दिया:

" इसलिए, हमारा विचार है कि जहां नियुक्ति पत्र, उपरोक्त नियमों के संयोजन में पढ़ा जाता है, वहां अधिकतम दो साल की परिवीक्षा अवधि निर्धारित की जाती है और जहां अपीलार्थी को अधिकतम अवधि से परे एक ही पद पर बने रहने की अनुमति दी गई थी,

वही निहितार्थ द्वारा एक मानी गई पुष्टि के बराबर होगा,

सोसायटी की ओर से पुष्टि के एक स्पष्ट आदेश की आवश्यकता के बिना "

उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि पहले प्रतिवादी का मामला एमपी बनाम सत्य नारायण झावर 3 ("सत्य नारायण झावर") के उच्च न्यायालय में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा गिने गए मामलों की दूसरी श्रेणी में आता है, जिसके लिए हम निर्णय के दौरान विज्ञापन देंगे।

7. उच्च न्यायालय के फैसले पर जोर देते हुए, अपीलकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील, श्री यशोबंत दास ने आग्रह किया कि:

((i)

1973 के नियमों के नियम 105 में किसी मानित की परिकल्पना नहीं की गई है।

परिवीक्षाधीन की सेवाओं की पुष्टि। नियम 105 के उप-नियम (2) में यह प्रावधान है कि यदि परिवीक्षाधीन की सेवाएं

संतोषजनक, परिवीक्षा की अवधि समाप्त होने या परिवीक्षा की विस्तारित अवधि समाप्त होने पर पुष्टि जारी की जाएगी;

((ii) नियम 105 (1) में अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं की गई है -

परिवीक्षाधीन। पुष्टि के आदेश के बिना परिवीक्षा पर पहले प्रतिवादी की सेवाओं को जारी रखने का अर्थ परिवीक्षा की विस्तारित अवधि है। नियम 105 (1) के तहत, इस अवधि के दौरान बिना किसी सूचना के सेवा की समाप्ति

परिवीक्षा की कानूनी रूप से अनुमति है;

(iii) नियम 105 (1) का परंतुक केवल एक अल्पसंख्यक संस्थान को निदेशक से पूर्व अनुमोदन लेने से छूट देता है।

परिवीक्षा अवधि को "एक और वर्ष" के लिए बढ़ाने के लिए। इसे परिवीक्षा अवधि के अनुमेय विस्तार को परिवीक्षा की अनिवार्य अवधि के अलावा केवल एक वर्ष तक सीमित करने के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है। अवधि का कोई भी विस्तार

7 ए. आई. आर 1968 एस. सी. 1210 8 (2001) 7 एससीसी 161

जैसा कि दिल्ली शिक्षा अधिनियम 1973 एबीएआई देशमुख मेमोरियल एसआर के तहत परिभाषित किया गया है।

एसईसी। स्कूल वी. सु सेना [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

परिवीक्षा के अनिवार्य वर्ष से परे परिवीक्षा का

निदेशक के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है; और

उच्च न्यायालय दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के एक बाध्यकारी उदाहरण पर विचार करने में विफल रहा। शिक्षा निदेशक बनाम वीणा शर्मा ने कहा कि 1973 के नियमों के नियम 105 के तहत परिवीक्षा की कोई निश्चित अवधि नहीं है और

कि सेवा की मानित पुष्टि का कोई सवाल ही पैदा न हो।

दूसरी ओर, श्री डी. राम कृष्ण, प्रथम प्रतिवादी की ओर से विद्वान वकील ने समर्थन में आग्रह किया

उच्च न्यायालय का निर्णय, कि:

जहां तक अल्पसंख्यक संस्थान का संबंध है, नियम 105 के परंतुक में कहा गया है कि जहां परिवीक्षा अवधि "एक और वर्ष" के लिए बढ़ा दी गई है, वहां निदेशक के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। 1973 के नियमों के नियम 105 में एक

अधिकतम अवधि से परे सेवा की निरंतरता निहितार्थ द्वारा सेवा की मानी गई पुष्टि के बराबर होगी; 1973 के नियमों के नियम 105 के तहत पुष्टि का आदेश जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक परिवीक्षाधीन की सेवाओं की मानित पुष्टि होती है

परिवीक्षा के लिए अधिकतम निर्धारित अवधि की समाप्ति। नियमों के साथ-साथ नियुक्ति पत्र में अनुबंध के आदेश की आवश्यकता वाली शर्त की अनुपस्थिति इस अपरिहार्य निष्कर्ष की ओर ले जाती है कि जब पहले प्रतिवादी को जारी रखा गया था तो सेवा की एक मानी गई पुष्टि हुई थी।

दो साल से अधिक की सेवा, बिना किसी आदेश के भी

पुष्टि करें। रिलायंस को इस संबंध में रखा गया था

धरम सिंह में इस न्यायालय का निर्णय; और

18 जून 2008 के पहले प्रतिवादी के नियुक्ति पत्र में एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि निर्धारित की गई थी। परिवीक्षाधीन अवधि में विस्तार के लिए न तो कोई शर्त थी और न ही आदेश जारी करने की आवश्यकता थी

पुष्टि करें।

प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ अब हमारे विचार के लिए आती हैं।

* 5 डीएलटी 311 (डीबी)

9] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

10. शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 1973 के नियमों का नियम 105, जैसा कि इस न्यायालय और उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, प्रतिद्वंद्वी पक्षों द्वारा इस प्रकार है:

" 105. परिवीक्षा (1) प्रत्येक कर्मचारी, प्रारंभिक नियुक्ति पर, एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगा जिसे नियुक्ति प्राधिकरण [निदेशक के पूर्व अनुमोदन के साथ] द्वारा बढ़ाया जा सकता है और किसी कर्मचारी की सेवाओं को परिवीक्षा की अवधि के दौरान बिना किसी सूचना के समाप्त किया जा सकता है यदि कर्मचारी का कार्य और संचालन प्रारंभिक नियुक्ति पर एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगा।

[बशर्ते कि परिवीक्षा की अवधि को एक और वर्ष बढ़ाने के संबंध में निदेशक के पूर्व अनुमोदन से संबंधित इस उप-नियम के प्रावधान किसी अन्य वर्ष के मामले में लागू नहीं होंगे। अल्पसंख्यक विद्यालय का कर्मचारी:

.....]

(2) यदि परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी कर्मचारी का काम और आचरण संतोषजनक पाया जाता है, तो वह परिवीक्षा की अवधि या परिवीक्षा की विस्तारित अवधि की समाप्ति पर होगा, जैसा कि मामला समाप्ति की तारीख से प्रभावी होगा।

अवधि ने कहा "।

11. यह उपरोक्त प्रावधान के आधार पर है कि उच्च न्यायालय, विवादित निर्णय में और वर्तमान मामले से पहले के निर्णयों में,

निष्कर्ष निकाला कि 1973 के नियमों के नियम 105 (1) में निर्धारित परिवीक्षा अवधि के विस्तार पर एक सीमा है। इस न्यायालय के समक्ष अभिलेख पर, "एक और वर्ष तक" शब्द केवल नियम 105 के पहले परंतुक में दिखाई देते हैं, न कि मूल प्रावधान में। उच्च न्यायालय, वर्तमान मामले में और वर्तमान मामले से पहले के मामलों में, नोट करने में विफल रहा है

1973 के नियमों के नियम 105 के इतिहास में संशोधन करना और कानून के गलत प्रावधान का विश्लेषण करना। प्रावधान के विधायी और प्रारूपण इतिहास का विज्ञापन करना यहां उचित है। 12. दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम 1973 की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रशासक ने केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ 1973 के नियमों को अधिनियमित किया। 1973 के नियम 31 दिसंबर 1973 को दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे।

1 1 दिल्ली राजपत्र-पी. टी. 2-जनवरी-दिसंबर 1973 पी.

किस तारीख को वे भी लागू हुए। नियम 105, जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया गया था, इस प्रकार है:

" 105. परिवीक्षा (1) प्रत्येक कर्मचारी, प्रारंभिक नियुक्ति पर,

एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर हो जिसे बढ़ाया जा सकता है

नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक और वर्ष और की सेवाओं द्वारा

उक्त अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी की राय में नहीं है, संतोषजनक:

बशर्ते कि किसी कर्मचारी की सेवा से कोई समाप्ति नहीं अल्पसंख्याक विद्यालय के अलावा किसी अन्य विद्यालय द्वारा परिवीक्षा की जाएगी।

निदेशक के पूर्व अनुमोदन को छोड़कर।

(2) यदि इस अवधि के दौरान किसी कर्मचारी का कार्य और आचरण

परिवीक्षा संतोषजनक पाई जाती है, वह समाप्ति पर होगा परिवीक्षा की अवधि या परिवीक्षा की विस्तारित अवधि

मामले की समाप्ति की तारीख से पुष्टि की जा सकती है

अवधि ने कहा।

(3) इस नियम में कुछ भी उस कर्मचारी पर लागू नहीं होगा जिसे

किसी अस्थायी रिक्ति या किसी सीमित रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त किया गया

अवधि "।

(जोर दिया गया)

13. 1973 के नियमों का नियम 105, जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया गया था, निर्धारित किया गया था

कि एक कर्मचारी को एक वर्ष की अवधि के लिए प्रारंभिक परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा "एक और वर्ष" के लिए बढ़ाया जा सकता है। अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए कोई अलग प्रावधान निर्धारित नहीं किया गया था। बाद में 1973 के नियमों में दो संशोधन शामिल किए

गए। 30 जनवरी 1985 को दिल्ली विद्यालय शिक्षा (संशोधन) नियम 1984 को अधिसूचित किया गया था। 1 2 इस संशोधन द्वारा 1973 के नियमों के नियम 110 को प्रतिस्थापित किया गया था।

14. 23 फरवरी 1990 को दिल्ली स्कूल शिक्षा (संशोधन)

नियम 199013 अधिसूचित किए गए थे। 1 4 संशोधन नियम 1990 के खंड 24 ने 1973 के नियमों के नियम 105 में संशोधन किया। खंड 24 इस प्रकार पढ़ता है:

12 नहीं। एफ. 5/15/72-एडन। / 573 . दिल्ली राजपत्र में (असाधारण-भाग-IV)-जनवरी-दिसंबर 1985 में पी। 2 13 संशोधन नियम 1990 1 4 डी. एस. ई. (ए) आर, 1990; सं. 1339/अधिनियम। दिल्ली राजपत्र में-जनवरी-दिसंबर 1990 पी।

12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 24. नियम 105 का संशोधन। - प्रमुख नियमों के नियम 105 में,

(क) उप-नियम (1) में, "एक और वर्ष" शब्दों के बाद, "निदेशक के पूर्व अनुमोदन के साथ" शब्द जोड़े जाएंगे; (ख) उपनियम (1) के परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

" बशर्ते कि परिवीक्षा की अवधि को एक और वर्ष बढ़ाने के संबंध में निदेशक के अनुमोदन से संबंधित इस उप-नियम के प्रावधान अल्पसंख्यक विद्यालय के कर्मचारी के मामले में लागू नहीं होंगे:

परिवीक्षा पर कर्मचारी को एक स्कूल द्वारा बनाया जाएगा, इसके अलावा अल्पसंख्यक विद्यालय, निदेशक की पूर्व स्वीकृति को छोड़कर।

(जोर दिया गया)

15. संशोधन नियम 1990 के आधार पर:

(i) "निदेशक की पूर्व स्वीकृति के साथ" शब्द थे

मूलधन में "एक और वर्ष द्वारा" शब्दों के बाद डाला गया

नियम 105 का भाग। निदेशक की पूर्व स्वीकृति थी

जहां परिवीक्षा की अवधि बढ़ाई जाती है, वहां इसे अनिवार्य कर दिया जाता है।

" एक और वर्ष तक "; और

((ख)

पहले परंतुक ने नियुक्ति को छूट प्रदान की

पूर्व की मांग से अल्पसंख्यक संस्थानों का अधिकार प्रोबा की अवधि बढ़ाने के लिए निदेशक की मंजूरी

यह "एक और वर्ष तक"।

1973 के नियमों के संशोधित इतिहास से पता चलता है कि

के प्रमुख भाग में दिखाई देने वाले शब्द "एक और वर्ष तक"

नियम 105 को हटाया नहीं गया है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि

वर्तमान मामला और पूर्व मामले सही पर ध्यान देने में विफल रहे

समय-समय पर संशोधित प्रावधान।

16. 1973 के नियमों के नियम 105, आज की तारीख में, इस प्रकार है:

" 105. परिवीक्षा (1) प्रत्येक कर्मचारी, प्रारंभिक नियुक्ति पर, एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगा जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। निदेशक की मंजूरी] और एक कर्मचारी की सेवाओं को परिवीक्षा की अवधि के दौरान बिना किसी सूचना के समाप्त किया जा सकता है यदि आर. जी. ए. बी. ए. आई. देशमुख स्मारक एस. आर.

एसईसी। स्कूल वी. . वासु सेना [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

उक्त अवधि के दौरान कर्मचारी का कार्य और आचरण निम्नलिखित नहीं है - नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, संतोषजनक:

[बशर्ते कि पूर्व से संबंधित इस उप-नियम के प्रावधान

अवधि के विस्तार के संबंध में निदेशक की मंजूरी

अल्पसंख्यक विद्यालय का कर्मचारी: .....]

परिवीक्षा की अवधि या परिवीक्षा की विस्तारित अवधि, जैसे - समाप्ति की तारीख से मामले की पुष्टि की जा सकती है

अवधि ने कहा "।

(जोर दिया गया)

उपरोक्त प्रावधान के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं -

वर्तमान विवाद से संबंधित व्याख्या।

17. तीन न्यायाधीशों की पीठ के विचार पर ध्यान देना उचित है -

सत्य नारायण झावर में अदालत। पूर्ववर्ती का सर्वेक्षण करते हुए, न्यायालय ने

हंस:

" 11. सेवा न्यायशास्त्र में मानित पुष्टि का प्रश्न, जो संबंधित सेवा की भाषा पर निर्भर है

नियम, इससे पहले विचार का विषय रहा है।

न्यायालय, विभिन्न निर्णयों में संख्या के बिना समय और वहाँ हैं

इस बिंदु पर मामलों की तीन पंक्तियाँ।

मामलों की एक पंक्ति यह है कि सेवा नियमों में या के पत्र में नियुक्ति परिवीक्षा की अवधि निर्दिष्ट है और विस्तार करने की शक्ति है

यह भी बिना निर्धारित किए प्राधिकरण को प्रदान किया जाता है।

परिवीक्षा की कोई अधिकतम अवधि और यदि अधिकारी को जारी रखा जाता है

निर्धारित या विस्तारित अवधि के बाद, उसे माना नहीं जा सकता है।

मामलों की दूसरी पंक्ति यह है कि जहां एक प्रावधान है प्रारंभिक परिवीक्षा और उसके विस्तार के लिए नियम, अधिकतम

इस तरह के विस्तार के लिए अवधि भी प्रदान की गई है जिसके बाद यह नहीं है परिवीक्षा बढ़ाने की अनुमति। ऐसे मामलों में निष्कर्ष यह है

कि संबंधित अधिकारी की पुष्टि [2019] 12 एस. सी. आर. मानी गई है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इससे पहले के मामले में परिवीक्षा की अधिकतम अवधि समाप्त होने पर

समाप्ति का आदेश पारित नहीं किया गया है। मामलों की अंतिम पंक्ति वह है जहाँ, हालांकि नियमों के तहत अधिकतम

परिवीक्षा की अवधि निर्धारित की गई है, लेकिन इसके लिए एक विशिष्ट अवधि की आवश्यकता होती है।

और पुष्टि के उद्देश्यों के लिए एक परीक्षा उत्तीर्ण करना। ऐसे में मामले, भले ही परिवीक्षा की अधिकतम अवधि समाप्त हो गई हो और

समाप्त हो गया "। उच्च न्यायालय का विचार था कि प्रथम प्रतिवादी का मामला

सत्य नारायण में गिने गए मामलों की दूसरी श्रेणी में आता है झावर, जबकि अपीलार्थी ने तर्क दिया कि पहले प्रतिवादी का मामला मामलों की पहली श्रेणी में आता है।

18. वर्तमान में निर्धारण के लिए उत्पन्न होने वाले कानून के बिंदु

अपील इस प्रकार है: (i) क्या नियम 105 (1) के प्रमुख भाग और नियम 105 (1) के पहले परंतुक में दिखाई देने वाले शब्द "एक और वर्ष तक" अनुमेय परिवीक्षा की कुल अवधि को दो वर्ष तक सीमित करते हैं; और (ii) क्या 1973 के नियमों में सेवा में परिवीक्षाधीन की पुष्टि के लिए पुष्टिकरण आदेश जारी करने की आवश्यकता है।

19. 18 जून को प्रथम उत्तरदाता का नियुक्ति पत्र

2008 , जहाँ तक यह प्रासंगिक है, इस प्रकार पढ़ता है:

" आंध्र शिक्षा समाज

श्रीमती. दुर्गाबाई देशमुख मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल

1 , दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002

आई. डी. सं. 2127081

रेफ. नहीं। ए. ई. एस. एस. एस./2008-09/डी. आर./112

तारीख:

18 जून, 2008

स्मारक

डी. टी. पर आयोजित उनके साक्षात्कार के संदर्भ में। 24.5.2008 आंध्र एजुकेशन सोसाइटी में पी. जी. टी. अंग्रेजी (सामान्य) के पद के लिए श्रीमती. दुर्गाबाई देशमुख मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 1, डी. डी. यू. मार्ग, नई दिल्ली-110002, श्रीमती. जे. ए. जे. वासु सेना को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उन्हें निम्नलिखित नियमों और शर्तों के तहत पी. जी. टी. अंग्रेजी के पद के लिए चुना गया है:

दुर्गाबाई देशमुख मेमोरियल एस. आर. एसईसी। स्कूल वी. जे. ए. जे. वासु सेना [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

1 .

2. वह तारीख से एक साल की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगी।

शामिल होना। 3. परिवीक्षा अवधि के दौरान उनकी सेवाएं टेर के लिए उत्तरदायी होती हैं।

दोनों तरफ एक महीने के नोटिस के साथ खनन।

4 .

5 . 6 .

7. यदि नियुक्ति का प्रस्ताव स्वीकार्य है तो उसे रिपोर्ट करना होगा

1 जुलाई 2008 को ड्यूटी।

8 .

9 .

20. 1973 के नियमों के नियम 105 (1) में कहा गया है कि प्रत्येक कर्मचारी

एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा। नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा की अवधि को "एक और वर्ष" के लिए बढ़ा सकता है

निदेशक का पूर्व अनुमोदन। नियम 105 (1) यह भी निर्धारित करता है कि यदि परिवीक्षाधीन अवधि के दौरान परिवीक्षाधीन का काम और आचरण असंतोषजनक पाया जाता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी, बिना किसी सूचना के,

परिवीक्षाधीन को सेवा से बर्खास्त करना। नियम 105 (1) के पहले परंतुक में कहा गया है कि जहां अल्पसंख्यक संस्थान की नियुक्ति का अधिकार है

परिवीक्षाधीन अवधि को "एक और वर्ष" तक बढ़ाने के लिए निदेशक के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। इस न्यायालय को यह समझने की आवश्यकता है कि क्या नियम 105 (1) और नियम 105 के पहले परंतुक में आने वाले "किसी अन्य वर्ष द्वारा" शब्दों का अर्थ एक अतिरिक्त वर्ष है, या बिना किसी सीमा के एक बार में एक वर्ष है।

21. कैम्ब्रिज इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार, "अन्य" शब्द का अर्थ है "एक और व्यक्ति या चीज़ या एक अतिरिक्त राशि।" वेबस्टर्स डिक्शनरी "अन्य" शब्द को "एक अतिरिक्त शब्द" के रूप में परिभाषित करता है।

एक ही प्रकार का: एक और "। 15 कॉलिन्स डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज के अनुसार, "अन्य" शब्द का अर्थ है "एक और"। 16 इसी तरह, लेक्सिको डिक्शनरी के अनुसार, "अन्य" शब्द का उपयोग किया जाता है। एक अतिरिक्त व्यक्ति या उसी प्रकार की चीज़ को संदर्भित करना जिसके बारे में पहले से उल्लेख या ज्ञात है; एक और। 1 7

22. "अन्य" शब्द को दिया गया सुसंगत अर्थ एक जोड़ या एक अधिक है। की साधारण और शाब्दिक संरचना 15 वेबस्टर्स थर्ड न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी (1976), पी। 89 16 कोलिन्स डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज (1983), पी। 58 17 लेक्सिको डिक्शनरी ऑनलाइन (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस)

नियम 105 (1) में "एक वर्ष की अवधि के लिए" शब्दों के साथ पढ़े गए अन्य "शब्दों का तात्पर्य है कि नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा की अवधि को एक अतिरिक्त वर्ष तक बढ़ा सकता है। यह तर्क कि शब्द "द्वारा" एक अन्य वर्ष का अर्थ है कि नियुक्ति प्राधिकारी बिना किसी सीमा के एक बार में एक वर्ष के लिए परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकता है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह "एक और वर्ष" शब्दों को "एक बार में एक वर्ष" शब्दों के साथ प्रतिस्थापित करके प्रावधान को फिर से लिखने के बराबर होगा, जो कानून में अस्वीकार्य है। इसके अलावा, यदि विधायिका के प्रतिनिधि का इरादा होता कि अनुमेय परिवीक्षा अवधि की कोई सीमा नहीं है, तो "एक और वर्ष तक" शब्दों को हटा दिया जाता।

23. कानून के शब्दों को उस अर्थ में समझा जाना चाहिए जिसमें वे अधिनियम के विषय के साथ सबसे अच्छा सामंजस्य रखते हैं और उद्देश्य जो विधायिका के विचार में है। 1 8 यह सिद्धांत इस मामले में प्रत्यायोजित विधान के प्रावधानों, अर्थात् नियम 105 की व्याख्या करने में एक उपयोगी मार्गदर्शक होना चाहिए। परिवीक्षा का उद्देश्य एक कर्मचारी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाना है। यह परिवीक्षाधीनों के लिए अपने काम से स्थापित करने के अवसर के रूप में कार्य करता है।

जो परिवीक्षा अवधि के दौरान प्रदान किया जाता है, कि वे सेवा में बनाए रखने के लिए उपयुक्त हैं। नियोक्ता की ओर से, परिवीक्षा नियुक्ति प्राधिकारी को सेवा में प्रतिधारण के लिए परिवीक्षाधीन की उपयुक्तता निर्धारित करने में सक्षम बनाती है। 24. परिवीक्षाधीन अवधि के अनुमेय विस्तार पर रखी गई सीमा उस अवसर के बीच संतुलन बनाती है जिसे वहन किया जाना चाहिए।

एक परिवीक्षाधीन को सेवा की गुणवत्ता को संशोधित करने और सुधारने के लिए और एक आदेश कि एक शैक्षणिक संस्थान का नियुक्ति प्राधिकरण योग्य शिक्षकों को नियुक्त करता है। "एक और वर्ष तक" शब्दों को एक अर्थ प्रदान करने के लिए कि नियुक्ति प्राधिकरण बिना किसी सीमा के एक बार में एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है, एक नियुक्ति प्राधिकरण को निदेशक के पूर्व अनुमोदन के साथ परिवीक्षाधीन की परिवीक्षाधीन अवधि बढ़ाने की अनुमति देगा। यह एक नियुक्ति प्राधिकारी को परिवीक्षा की अवधि को, जो उपयुक्तता का पता लगाने के सीमित और समयबद्ध उद्देश्य को पूरा करती है, एक अस्थायी नियुक्ति में बदलने और शैक्षणिक संस्थानों में परिवीक्षाधीन सेवा के उद्देश्य को विफल करने की अनुमति देगा। यद्यपि विधायिका या प्रत्यायोजित प्राधिकारी को किसी दिए गए मामले में यह निर्धारित करने का अधिकार है कि परिवीक्षा की अवधि पर कोई प्रतिबंध नहीं है, व्याख्या

18 उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सी टोबिट 1958 एससीआर 1275; संतासिंह बनाम पंजाब राज्य (1976) 4 एससीसी 190; मुकेश त्रिपाठी बनाम वरिष्ठ मंडल प्रबंधक (2004) 8 एससीसी 387।

दुर्गाबाई देशमुख मेमोरियल एस. आर. एसईसी। स्कूल वी. जे. ए. जे. वासु सेना [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

जिसे हमने अपनाया है, वह नियम 105 (1) के शब्दों और "अन्य" शब्द को दिए गए सामान्य अर्थ से समर्थित है।

25. "एक और वर्ष तक" शब्दों के सरल पठन का तात्पर्य है कि किसी संस्थान का नियुक्ति प्राधिकरण अवधि बढ़ा सकता है -

निदेशक के पूर्व अनुमोदन के साथ परिवीक्षा के अनिवार्य वर्ष के अलावा एक अतिरिक्त वर्ष के लिए परिवीक्षा। इसलिए 1973 के नियमों के नियम 105 (1) में कुल परिवीक्षा अवधि को दो साल तक सीमित किया गया है। पहला परंतुक यह निर्धारित करता है कि अल्पसंख्यक संस्थान के मामले में निदेशक के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

26. हमने जो सिद्धांत अपनाया है, वह इस न्यायालय की एक सुसंगत पूर्ववर्ती रेखा के अनुरूप है। यह कानून की एक तय स्थिति है कि जहाँ

कानून के शब्द स्पष्ट और असंदिग्ध होते हैं, उनकी व्याख्या उनके सामान्य व्याकरणिक अर्थों में की जानी चाहिए, जब तक कि व्याख्या एक बेतुका परिणाम की ओर न ले जाए। यह केवल वही जगह है जहाँ एक क़ानून की भाषा, अपने सामान्य अर्थ और व्याकरणिक संरचना में, एक प्रकटीकरण की ओर ले जाती है।

विरोधाभास, या कुछ असुविधा या बेतुकी, कठिनाई या अन्याय के लिए, कि उस पर एक निर्माण किया जा सकता है जो शब्दों के अर्थ को संशोधित करता है। 27. न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह ने अपनी मौलिक पुस्तक 'प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैच्युटरी इंटरप्रिटेशन' में इस प्रकार कहा है:

उनके व्याकरणिक अर्थ के अनुसार, जब तक कि यह कुछ बेतुकेपन की ओर न ले जाए या जब तक कि संदर्भ में या क़ानून के उद्देश्य में इसके विपरीत सुझाव देने के लिए कुछ न हो। कानून पर अपने ग्रंथ में क्रेज़, 20 इस प्रकार कहता है:

" संसद के अधिनियमों के निर्माण के लिए मुख्य नियम यह है कि उनका अर्थ अधिनियमों में व्यक्त इरादे के अनुसार लगाया जाना चाहिए। यदि कानून के शब्द स्वयं सटीक और असंदिग्ध हैं, तो उन शब्दों को उनके सामान्य और प्राकृतिक अर्थों में व्याख्या करने के अलावा और कुछ आवश्यक नहीं हो सकता है। द.

ऐसे मामले में केवल शब्द ही कानून निर्माता के इरादे की सबसे अच्छी घोषणा करते हैं।

19 न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह, सांविधिक व्याख्या के सिद्धांत, 14 वीं संस्करण। , पी पर। 91 20 कानून पर क्रेज़, 7 वीं संस्करण। , पी पर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

28. महाराष्ट्र राज्य वित्तीय निगम बनाम जेसी

ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड 2 1, अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी द्वारा ऋण चुकाने में विफलता पर प्रतिभूओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 की धारा 31 (1) में यह निर्धारित किया गया है कि जिला न्यायाधीश के समक्ष एक मुकदमा दायर किया जा सकता है, जिसके अधिकार क्षेत्र में संस्था व्यवसाय करती है। धारा 32 (11) में निर्धारित किया गया है कि उक्त धारा के तहत एक जिला न्यायाधीश के कार्यों का प्रयोग प्रेसीडेंसी शहर में, जहां एक नगर दीवानी न्यायालय है, उस न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा और "ऐसे न्यायालय के अभाव में, उच्च न्यायालय द्वारा" किया जाएगा। अपीलार्थी ने तर्क दिया कि बॉम्बे सिटी सिविल कोर्ट अधिनियम 1948 की धारा 3 में निहित बॉम्बे सिटी सिविल कोर्ट के आर्थिक अधिकार क्षेत्र के साथ पढ़े जाने वाले "अधिकार क्षेत्र वाले" शब्दों के लिए आवश्यक है कि जहां दायित्व लागू करने की मांग की गई थी, वह 50,000 रुपये से अधिक थी, अपीलार्थी द्वारा याचिका उच्च न्यायालय में बनाए रखने योग्य थी।

अकेले अदालत। इस तर्क को स्वीकार करते हुए, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस प्रकार निर्णय दिया:

" 15. हमारी राय में, आवेदन में बताए गए दायित्व की सीमा अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (2) के अनुसार

निगम के दावे के मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है और यदि ऐसा है

आवेदन का मूल्य 50,000 रुपये तक है जो शहर के नागरिक कार्यालय में होगा। न्यायालय और यदि यह उस राशि से अधिक है तो यह उच्च न्यायालय में होगा।

अदालत। यह व्याख्या अर्थ और प्रासंगिकता देगी

धारा की उप-धारा (11) में प्रयुक्त "अधिकारिता रखने वाले" शब्द

32. एक अलग व्याख्या अनावश्यक या अनावश्यक बना देगी।

न केवल "अधिकार क्षेत्र रखने वाले" शब्द बल्कि "और" में भी शब्द

उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे न्यायालय की अनुपस्थिति "।

16. यह कानूनों की व्याख्या का एक तय नियम है कि यदि

भाषा और उपयोग किए जाने वाले शब्द सरल और असंदिग्ध, पूर्ण हैं।

उन्हें प्रभाव दिया जाना चाहिए जैसे वे खड़े होते हैं और पोशाक में होते हैं

विधायिका के इरादे का पता लगाने के लिए कोई शब्द नहीं होना चाहिए इसमें जोड़ा जाए या उसमें से घटाया जाए। इसी प्रकार यह भी

पुनः व्याख्या का एक व्यवस्थित नियम कि सांविधिक प्रावधान

इसका अर्थ इस तरह से लगाया जाना चाहिए कि

अधिनियमन का उद्देश्य और इसे पराजित नहीं करता है और वह

इसके किसी भी हिस्से को अधिशेष या विषम नहीं माना जाता है।

(जोर दिया गया)

21 (1991) 2 एस. सी. सी. 637 दुर्गाबाई देशमुख मेमोरियल एस. आर. एसईसी। स्कूल वी. जे. ए. जे. वासु सेना [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

हिमाचल प्रदेश बनाम पवन कुमार, 22 के मामले में यह तर्क दिया गया था कि मादक पदार्थों की धारा 5023 में प्रदान किए गए सुरक्षा उपाय और

किसी भी "व्यक्ति" की तलाशी के संबंध में मनोदैहिक पदार्थ अधिनियम 1985 किसी भी थैले, ब्रीफकेस या ऐसी किसी भी वस्तु या पात्र पर भी लागू होगा, जिसे वह ले जा रहा है। अधिनियम में "व्यक्ति" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया था। इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने अधिनियम की योजना और उस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए, जिसमें "व्यक्ति" शब्द का उपयोग किया गया है, इस तर्क को खारिज कर दिया और इस प्रकार निर्णय दिया:

" 8. विधियों की व्याख्या के बुनियादी सिद्धांतों में से एक उन्हें शब्दों के सादे, शाब्दिक और व्याकरणिक अर्थ के अनुसार समझना है। यदि वह किसी अभिव्यक्ति के विपरीत या उसके साथ असंगत है

कानून का इरादा या घोषित उद्देश्य, या यदि इसमें कोई बेतुका, तिरस्कार या विसंगति शामिल है, तो व्याकरणिक अर्थ को संशोधित, विस्तारित या संक्षिप्त किया जाना चाहिए, जहां तक ऐसी असुविधा से बचने के लिए, लेकिन आगे नहीं। यह दिखाने की जिम्मेदारी कि शब्दों का मतलब यह नहीं है कि वे क्या कहते हैं, उस पार्टी पर बहुत अधिक निर्भर करता है जो उस पर आरोप लगाती है। उसे कुछ ऐसा आगे बढ़ाना चाहिए जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि व्याकरणिक संरचना इसके लिए प्रतिकूल होगी

अधिनियम का इरादा या कुछ स्पष्ट बेतुकेपन की ओर ले जाता है।

उपरोक्त सिद्धांतों का इस न्यायालय द्वारा लगातार पालन किया गया है, जिसमें राजस्थान राज्य बनाम बाबू राम 2 4 और

(3) राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट जिसके समक्ष ऐसे किसी व्यक्ति को लाया जाता है, यदि वह तलाशी के लिए कोई उचित आधार नहीं देखता है, तो उस व्यक्ति को तुरंत आरोपमुक्त कर देगा, लेकिन अन्यथा यह निर्देश देगा कि तलाशी ली जाए। (4) एक महिला के अलावा किसी भी महिला की तलाशी नहीं ली जाएगी। 24 (2007) 6 एससीसी 55

25 (2018) 9 एससीसी 1 [2019] 12 एस. सी. आर.

29. अपीलार्थी ने तर्क दिया कि नियम 105 (1) के पहले परन्तुक में "एक और वर्ष तक" शब्दों को परिवीक्षा की कुल अवधि को दो वर्ष तक सीमित करने के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है। अपीलार्थियों द्वारा आग्रह किए गए तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। नियम 105 (1) के प्रमुख भाग में आने वाले "एक और वर्ष तक" शब्दों को एक अतिरिक्त वर्ष का संकेत देने के लिए उनका स्पष्ट और शाब्दिक अर्थ दिया जाना चाहिए। किसी संस्थान का नियुक्ति प्राधिकरण परिवीक्षा की अवधि को एक वर्ष की प्रारंभिक अवधि के अलावा एक अतिरिक्त वर्ष के लिए बढ़ा सकता है। यह अल्पसंख्यक संस्थानों पर भी समान रूप से लागू होता है। पहले परंतुक में कहा गया है कि अल्पसंख्यक संस्थान द्वारा परिवीक्षा अवधि को एक और वर्ष बढ़ाने के संबंध में "निदेशक के पूर्व अनुमोदन से संबंधित" उप-नियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। परंतुक केवल इस आशय के मूल प्रावधान से एक अपवाद बनाता है कि अल्पसंख्यक संस्थान के मामले में परिवीक्षा अवधि को एक अतिरिक्त वर्ष तक बढ़ाने के लिए निदेशक की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी।

30. अल्पसंख्यक संस्थानों को दिए गए विशेष दर्जे को ध्यान में रखते हुए, नियम 105 (1) का पहला परंतुक नियुक्ति प्राधिकारी को निदेशक से पूर्व अनुमोदन लेने से छूट देता है ताकि परिवीक्षा की अवधि को परिवीक्षा की अनिवार्य अवधि के अलावा एक अतिरिक्त वर्ष तक बढ़ाया जा सके। यह नियुक्ति प्राधिकारी को ही परिवीक्षाधीन अवधि के पहले विस्तार को एक और वर्ष के लिए निर्धारित करने में अंतिम निर्णय देता है। नियम 105 (1) के मूल प्रावधान में "एक और वर्ष तक" शब्दों की जो व्याख्या हमने अपनाई है, वह नियम 105 (1) के पहले परंतुक में "एक और वर्ष तक" शब्दों पर समान रूप से लागू होती है। इस स्थिति को स्वीकार करने के लिए कि परंतुक में परिवीक्षा अवधि के विस्तार पर कोई सीमा नहीं रखी गई है, परंतुक को अनुमति देगा

एक अलग प्रावधान के रूप में पढ़ें और "द्वारा" शब्दों को एक अर्थ प्रदान करें एक और वर्ष "जो अपने सादे व्याकरणिक अर्थ के अनुसार नहीं है।

31. यह कानून की एक स्थिर स्थिति है कि एक परंतुक का उद्देश्य मुख्य खंड से एक वर्ग या श्रेणी को बनाना है जिसमें मुख्य

खंड लागू नहीं होता है। एक परंतुक को प्रथम दृष्टया उस प्रमुख मामले के संबंध में पढ़ा और विचार किया जाना चाहिए जिसके लिए यह एक परंतुक है। यह एक अलग या स्वतंत्र अधिनियम नहीं है।

तहसीलदार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में, 26 इस न्यायालय की छह न्यायाधीशों की पीठ को धारा 162 के परंतुक की व्याख्या करने की आवश्यकता थी।

दंड प्रक्रिया संहिता 1973। धारा 162 (1) 27 में प्रावधान किया गया है कि

26 1959 पूरक (2) एस. सी. आर. 875 दुर्गबाई देशमुख स्मारक एस. आर. एसईसी। स्कूल वी. जे. ए. जे. वासु सेना [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

जहाँ जाँच के दौरान किसी व्यक्ति का पुलिस अधिकारी को दिया गया बयान लिखित रूप में लिया जाता है, वहाँ उस व्यक्ति को दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं होगी और न ही लेखन को सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। परंतुक ने अदालत को अपने विवेकाधिकार में और अभियुक्त के अनुरोध पर लिखित बयान का उल्लेख करने और अभियुक्त को एक प्रति प्रस्तुत करने का निर्देश देने का अधिकार दिया। परंतुक में प्रावधान किया गया है कि बयान का उपयोग भारतीय साक्षय अधिनियम, 1872 की धारा 145 द्वारा प्रदान किए गए तरीके से गवाह का "खंडन" करने के लिए किया जा सकता है। अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि परंतुक को विरोधाभास के अलावा प्रतिपरीक्षा का अधिकार प्रदान करने के लिए मुख्य प्रावधान से अलग पढ़ा जा सकता है और गवाह द्वारा अधिकारी को दिए गए मौखिक बयानों के निष्कर्ष को पिछले दरवाजे से अनुमति दी जा सकती है, जिन्हें लिखित रूप में कम नहीं किया गया था। मुख्य प्रावधान में लिखित रूप में दर्ज किए गए बयानों के साक्षय मूल्य पर प्रतिबंध के आलोक में परंतुक का निर्माण करते हुए, न्यायालय ने निम्नलिखित शब्दों में परंतुक की व्याख्या करने का सिद्धांत निर्धारित किया:

" 14. यह हमें मामले में मुख्य प्रश्न की ओर ले जाता है अर्थात

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 की व्याख्या। किसी धारा के प्रावधानों के निर्माण का प्रमुख नियम

मैक्सवेल की व्याख्या में एक परंतुक के साथ संक्षेप में कहा गया है

क़ानून, 10 वीं संस्करण।, पी पर। 162 इस प्रकार:

" उचित मार्ग यह है कि अर्थ के व्यापक सामान्य नियम को लागू किया जाए, जो यह है कि किसी धारा या अधिनियम का अर्थ इस प्रकार किया जाना चाहिए -

पूरा, यदि आवश्यक हो तो प्रकाश फेंकने वाला प्रत्येक भाग बाकी पर हो।

सच्चा सिद्धांत निस्संदेह यह है कि ध्वनि व्याख्या

और कानून का अर्थ, अधिनियमन खंड की दृष्टि से,

बचत खंड और परंतुक, जिन्हें एक साथ लिया और समझा गया है, वे हैं -

विजय प्राप्त करें "।

जब तक शब्द स्पष्ट नहीं हैं, अदालत को ऐसा नहीं समझना चाहिए

27 162. (1) इस अध्याय के तहत जांच के दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी पुलिस अधिकारी को दिए गए किसी भी बयान पर, यदि लिखित रूप में सीमित किया जाता है, तो उसे बनाने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए जाएंगे; और न ही ऐसा कोई बयान या उसका कोई रिकॉर्ड, चाहे वह पुलिस

डायरी में हो या अन्यथा, या ऐसे बयान या रिकॉर्ड का कोई हिस्सा, किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाएगा, सिवाय इसके कि इसके बाद, उस समय जब ऐसा बयान दिया गया था, जांच के तहत किसी भी अपराध के संबंध में किसी भी जांच या मुकदमे में: बशर्ते कि जब किसी गवाह को ऐसी जांच या मुकदमे में अभियोजन पक्ष के लिए बुलाया जाता है

जिनके बयान को लिखित रूप में कम कर दिया गया है, उनके बयान का कोई भी हिस्सा, यदि विधिवत साबित हो जाता है, तो अभियुक्त द्वारा, और अदालत की अनुमति से, अभियोजन पक्ष द्वारा, भारतीय साक्षय अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 145 द्वारा प्रदान किए गए तरीके से ऐसे गवाह का खंडन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और जब ऐसे कथन के किसी भाग का इस प्रकार उपयोग किया जाता है, तो उसके किसी भी भाग का उपयोग ऐसे गवाह की पुनः परीक्षा में भी किया जा सकता है, लेकिन केवल उसकी प्रतिपरीक्षा में निर्दिष्ट किसी भी मामले को समझाने के उद्देश्य से।] [2019] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विधायिका को एक इरादे का श्रेय देने के लिए परंतुक

एक हाथ से दें और दूसरे हाथ से ले जाएं। इसे अंदर रखने के लिए दूसरे शब्दों में, सुलह करने का एक ईमानदार प्रयास किया जाना चाहिए

अधिनियमित करने वाला खंड और परंतुक और तिरस्कार से बचने के लिए दोनों के बीच।

(जोर दिया गया)

32. इसी तरह, सी. आई. टी. बनाम इंडो-मर्कैंटाइल बैंक लिमिटेड में, 28 एक तीन

इस न्यायालय की न्यायाधीश पीठ ने भारतीय आयकर अधिनियम 1922 की धारा 24 के परंतुक के अर्थ की व्याख्या करते हुए इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:

" इसलिए एक परंतुक का क्षेत्र एक अपवाद बनाना है।

मुख्य अधिनियम के लिए और कुछ ऐसी चीज़ को बाहर करें जो अन्यथा अनुभाग के भीतर होता। इसे उसी में काम करना पड़ता है

क्षेत्र और यदि मुख्य अधिनियम की भाषा स्पष्ट है तो यह नहीं हो सकता है

मुख्य अधिनियम की व्याख्या करने के उद्देश्य से या

परंतुक के शब्द ऐसे हैं कि यह इसका आवश्यक प्रभाव है। द्वारका प्रसाद बनाम द्वारका दास सराफ मामले में, 2 9 एक चार न्यायाधीशों की पीठ

इस न्यायालय ने यू. पी. (अस्थायी) किराया और बेदखली नियंत्रण अधिनियम 1947 में एक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए परंतुक में "समायोजन" शब्द के दायरे और विस्तार की व्याख्या करते हुए इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:

प्रावधान को प्रथम दृष्टया पढ़ा जाना चाहिए और इसके संबंध में विचार किया जाना चाहिए प्रमुख मामला जिसके लिए यह एक परंतुक है। यह अलग नहीं है या

स्वतंत्र अधिनियम। एक परंतुक आम तौर पर एक परंतुक है, हालांकि सुनहरा नियम पूरे खंड को पढ़ना है, जिसमें शामिल हैं

प्रावधान, इस तरह से कि वे पारस्परिक रूप से प्रत्येक पर प्रकाश डालते हैं

अन्य और एक सामंजस्यपूर्ण निर्माण में परिणाम "। उपरोक्त सिद्धांतों का लगातार पालन किया गया है -

पट्टाबिरमन, 3 0 जे. के. इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम कारखानों के मुख्य निरीक्षक और बॉयलर, 31 और होलानी ऑटो लिंक्स (पी) लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ MP.32

28 1959 एस. सी. आर. सप (2) 256 29 1976 एस. सी. आर. (1) 277 30 (1985) 1 एससीसी 591 31 (1996) 6 एससीसी 665 32 (2008) 13 एससीसी 185 दुर्गाबाई देशमुख मेमोरियल एसआर।

एसईसी। स्कूल वी. जे. ए. जे. वासु सेना [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

33. 1973 के नियमों के नियम 105 (1) में "एक और वर्ष तक" शब्द परिवीक्षा की अधिकतम अनुमेय अवधि को दो वर्ष तक सीमित करते हैं। यह नियम 105 के पहले परंतुक द्वारा कवर किए गए अल्पसंख्यक संस्थानों पर भी समान रूप से लागू होता है। परंतुक केवल अल्पसंख्यक संस्थानों के नियुक्ति प्राधिकरण को निदेशक से पूर्व अनुमोदन लेने से छूट देता है जहां परिवीक्षा अवधि का विस्तार दो साल के अधिकतम अनुमेय विस्तार के भीतर किया जाता है।

हालांकि उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अधिकतम अनुमेय अवधि नियम 105 (1) के तहत परिवीक्षा की अवधि दो साल है, यह कानून के गलत प्रावधान पर अपने निष्कर्ष को दर्ज करने के लिए आगे बढ़ा। जिन कारणों से हम

34. उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि नियम 105 दो साल की अधिकतम परिवीक्षा अवधि निर्धारित करता है और इसके परिणामस्वरूप, परिवीक्षाधीन की सेवाओं को परिवीक्षाधीन अवधि से आगे जारी रखना बिना किसी आदेश के भी सेवा की मानित पुष्टि के बराबर होगा। पुष्टि करें। नतीजतन, पहले प्रतिवादी का मामला उच्च न्यायालय के अनुसार सत्य नारायण झावर में गिने गए मामलों की दूसरी श्रेणी के भीतर था। सत्य नारायण झावर में यह न्यायालय

मामलों की तीन पंक्तियाँ गिनाई गईं। तीसरा उन मामलों को निर्धारित करता है जहां नियम परिवीक्षा की अधिकतम अवधि निर्धारित करते हैं लेकिन इसके लिए भी आवश्यकता होती है नियोक्ता की ओर से पुष्टिकरण के उद्देश्यों के लिए पुष्टिकरण का आदेश जारी करने का विशिष्ट कार्य। ऐसे मामलों में, परिवीक्षाधीन की सेवाओं की कोई मानित पुष्टि नहीं होती है कि वे परिवीक्षाधीन की अधिकतम अवधि से आगे सेवा में बने रहेंगे।

35. मान लीजिए, नियुक्ति पत्र में यह निर्धारित नहीं किया गया है कि परिवीक्षाधीन की समाप्ति पर पहले प्रतिवादी की पुष्टि की जाएगी।

अवधि। नियम 105 (2) में कहा गया है कि यदि परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी कर्मचारी का काम और आचरण होता है तो पुष्टि का आदेश जारी किया जा सकता है।

पुष्टि का आदेश जारी किया जा सकता है। नियम 105 (2) में एक स्पष्ट शर्त है जिसके तहत पुष्टिकरण का आदेश जारी करने की आवश्यकता होती है। प्राधिकारी की नियुक्ति उसके इस आकलन पर कि परिवीक्षाधीन का प्रदर्शन संतोषजनक रहा है। परिवीक्षाधीन की सेवाओं को परिवीक्षाधीन अवधि से परे जारी रखने से सेवा में मानित पुष्टि नहीं होती है। यह केवल [2019] 12 एस. सी. आर. के आदेश के जारी होने पर है।

नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पुष्टि की जाती है कि परिवीक्षाधीन को पद पर पर्याप्त नियुक्ति दी जाती है।

36. जी. एस. रामास्वामी बनाम पुलिस महानिरीक्षक 3 3, ए

इस न्यायालय की संविधान पीठ ने हैदराबाद जिला पुलिस नियमावली के नियम 486 के तहत पुलिस उप निरीक्षकों की पदोन्नति पर विचार किया, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि पदोन्नत किए गए सभी अधिकारी दो साल की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होंगे और यदि उनका काम और आचरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो उन्हें उपरोक्त अवधि के दौरान वापस भेजा जा सकता है। यह देखते हुए कि नियम में निर्धारित किया गया है कि "पदोन्नत अधिकारियों की पुष्टि उनकी परिवीक्षा अवधि के अंत में की जाएगी यदि उन्होंने संतुष्टि दी है", इस न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दिया:

" 8 ..... इसलिए भले ही एक परिवीक्षाधीन ने जारी रखा हो उस पद पर कार्य करना जिसमें वह परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है

परिवीक्षा की प्रारंभिक अवधि, वह स्थायी नहीं बन सकता है

केवल समय के प्रवाह के कारण नौकर, जब तक कि नियम

सेवा जो उसे नियंत्रित करती है, विशेष रूप से निर्धारित करती है कि

प्रारंभिक परीक्षण के बाद परिवीक्षाधीन की स्वतः पुष्टि हो जाएगी।

परिवीक्षा की अवधि समाप्त हो गई है। यह सच है कि उपयोग किए गए शब्द ऊपर दी गई सजा यह नहीं है कि पदोन्नत अधिकारी होंगे

अपने परिवीक्षाधीन के अंत में पदोन्नति के लिए योग्य या योग्य

ऐसी अवधि जिसमें नियम में अक्सर शब्द पाए जाते हैं

यद्यपि नियम 486 का यह भाग कहता है कि

परिवीक्षा अवधि ", यह शब्दों द्वारा योग्य है" यदि वे संतुष्टि दी है "। स्पष्ट रूप से इसलिए नियम करता है

इसके बाद स्वचालित पुष्टि पर विचार न करें

एक पदोन्नत अधिकारी के लिए दो साल की परिवीक्षा अवधि

केवल इस नियम के तहत पुष्टि की जाएगी यदि उसने दिया है

संतुष्टि। संतुष्टि देने की यह शर्त होनी चाहिए

इसके तहत एक पदोन्नत अधिकारी की पुष्टि होने से पहले पूरा किया जाता है

इस नियम और इस शर्त का स्पष्ट रूप से अर्थ है कि

उसकी पुष्टि करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को एक आदेश पारित करना होगा

प्रभाव कि परिवीक्षाधीन अधिकारी ने संतुष्टि दी है

और इसलिए पुष्टि की जाती है।"

(जोर दिया गया)

33 (1964) 6 एस. सी. आर. 279 दुर्गबाई देशमुख मेमोरियल एस. आर. एसईसी। स्कूल वी. जे. ए. जे. वासु सेना [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

केदार नाथ बहल बनाम पंजाब राज्य 3 4 में, अपीलार्थी था

पंजाब प्रांतीय सेवा वर्ग I में एक पद पर नियुक्त।

नियुक्ति पत्र में निर्धारित किया गया था कि परिवीक्षा की अवधि छह महीने की होगी। अपीलार्थी छह महीने की निर्धारित अवधि के बाद भी परिवीक्षा पर बना रहा और अंततः उसे अपने पिछले पद पर वापस भेज दिया गया। उन्होंने अपने प्रत्यावर्तन के आदेश को चुनौती देने वाली कार्यवाही शुरू की। अपीलार्थी ने तर्क दिया कि परिवीक्षा की अवधि समाप्त होने पर, उसे सेवा में पुष्टि माना गया था। इस तर्क को खारिज करते हुए, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस प्रकार निर्णय दिया:

" 9. ..... इस मुद्दे पर कानून अब अच्छी तरह से तय हो गया है। जहाँ एक व्यक्ति है

किसी भी पद पर परिवीक्षाधीन के रूप में नियुक्त और परिवीक्षा की अवधि है निर्दिष्ट, यह इस बात का पालन नहीं करता है कि उक्त निर्दिष्ट के अंत में

परिवीक्षा की अवधि वह स्वचालित रूप से पुष्टि प्राप्त करता है भले ही

इस संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है। जब तक की शर्तें नियुक्ति स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि पुष्टि होगी

निर्दिष्ट अवधि के अंत में स्वचालित रूप से पालन करें, या

उस प्रभाव के लिए एक विशिष्ट सेवा नियम है, समाप्ति

परिवीक्षाधीन अवधि का अनिवार्य रूप से नेतृत्व नहीं करता है पुष्टि करें। परिवीक्षा अवधि के अंत में एक आदेश

अधिकारी की पुष्टि करने के लिए पास होना आवश्यक है और यदि नहीं

ऐसा आदेश पारित किया जाता है और उसे वापस नहीं किया जाता है

दिखाएँ कि अपीलार्थी की स्वतः पुष्टि हो जाएगी परिवीक्षा के पहले छह महीने की समाप्ति और न ही कोई नियम लाया जाता है

हमारे नोटिस के लिए जो पोस्ट में उसकी पुष्टि करने का प्रभाव रखता है

छह महीने की परिवीक्षा के बाद "।

(जोर दिया गया)

इस दृष्टिकोण की पुष्टि इस न्यायालय के निर्णयों द्वारा भी की जाती है।

मिश्रा 3 8 38। 34 (1974) 3 एससीसी 21

35 (1991) 3 एससीसी 325

36 1995 पूरक (3) एस. सी. सी. 364

37 (1996) 9 एससीसी 190 38 (1997) 7 एससीसी 550 [2019] 12 एस. सी. आर.

37. हाल ही में, हेड मास्टर, लॉरेंस स्कूल, लवडेल बनाम

जयंती रघु 3 9, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि जहां भी

प्रासंगिक नियम परिवीक्षा की अधिकतम अवधि निर्धारित करता है, "यदि पुष्टि की जाती है" शब्दों का उपयोग एक शर्त पूर्ववर्ती को दर्शाता है और जब तक पुष्टि का एक विशिष्ट आदेश जारी नहीं किया जाता है, तब तक सेवा की कोई मानी गई पुष्टि नहीं होती है। न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दिया:

अलग भाषा। ऐसा नहीं होने के कारण, व्यापक व्याख्या यह अनुमान लगाने के लिए नियम पर नहीं रखा जा सकता है कि परिवीक्षाधीन को मिलता है

तीन वर्ष की समाप्ति के बाद प्रमाणित कर्मचारी की स्थिति

परिवीक्षा अवधि के रूप में जो मूल उद्देश्य को विफल कर देगा और नियम का आशय जो स्पष्ट रूप से "यदि पुष्टि" करता है। ए.

पुष्टि, जैसा कि भाषा से प्रदर्शित होता है

नियम में नियोजित, समय के प्रवाह के साथ नहीं होता है। जैसा कि यह एक शर्त, एक सकारात्मक या सकारात्मक कार्य द्वारा हेज किया गया है

नियोक्ता द्वारा आवश्यक है। हमारी सुविचारित राय में,

पुष्टि का आदेश पारित किया जाना आवश्यक है।

(जोर दिया गया)

38. यह इस न्यायालय की निरंतर मिसाल से उभरता है।

कि जहाँ सुसंगत नियम या नियुक्ति पत्र सेवा की पुष्टि के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त निर्धारित करता है, वहाँ सेवा की कोई मानित पुष्टि केवल इसलिए नहीं की जाती है क्योंकि परिवीक्षाधीन की सेवाएं परिवीक्षा की अवधि से परे जारी रहती हैं। पुष्टि का आदेश जारी होने पर ही परिवीक्षाधीन को उस पद पर महत्वपूर्ण नियुक्ति दी जाती है। नियम 105 (2) नियुक्ति प्राधिकारी की संतुष्टि को एक आदेश जारी करने की पूर्व शर्त के रूप में निर्धारित करता है -

परिवीक्षा अवधि से परे की सेवाएँ परिवीक्षाधीन को सेवा की मानित पुष्टि का हकदार नहीं बनाएंगी। उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की है कि एक मानित पुष्टि है जहां एक परिवीक्षाधीन की सेवाओं को परिवीक्षाधीन अवधि की समाप्ति के बाद भी जारी रखा जाता है।

39 (2012) 4 एस. सी. सी. 793 दुर्गाबाई देशमुख मेमोरियल एस. आर. एसईसी। स्कूल वी. जे. ए. जे. वासु सेना [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

39. यह श्री यशोबंत दास, विद्वान वरिष्ठ द्वारा संक्षेप में आग्रह किया गया था

अपीलार्थियों की ओर से पेश वकील ने कहा कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ वीणा शर्मा मामले में उच्च न्यायालय की एक समन्वय पीठ के फैसले का पालन करने में विफल रही। उस मामले में, उसके परिवीक्षा की अवधि के दौरान एक अपर डिवीजन क्लर्क को समाप्ति आदेश जारी किया गया था। यह तर्क देते हुए कि उनकी बर्खास्तगी नियुक्ति पत्र के अनुसार नहीं थी और उनकी सेवाओं की पुष्टि की गई थी, कर्मचारी का मामला उच्च न्यायालय में पहुंचा। नियुक्ति पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि परिवीक्षाधीन अवधि समाप्त होने पर पुष्टि पत्र जारी किया जाएगा। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा (जैसा कि वे तब थे) ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि 1973 के नियमों के नियम 105 में इस आधार पर सेवा की मानित पुष्टि की गई है कि परिवीक्षा की कोई निश्चित अवधि नहीं है और कर्मचारी का काम और आचरण संतोषजनक साबित होना चाहिए।

40. वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय की खंड पीठ

वीणा शर्मा में निर्णय के लिए विज्ञापन दिया और इसे इस पर प्रतिष्ठित किया

इस आधार पर कि नियुक्ति पत्र में पुष्टि के एक स्पष्ट पत्र की आवश्यकता निर्धारित की गई थी। इसके अलावा, अपीलार्थी की ओर से आग्रह किए गए तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि उस मामले के तथ्यों को इस मुख्य कारण से अलग किया जा सकता है कि परंतुक में अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए निर्धारित छूट की कोई व्याख्या शामिल नहीं थी। 41. उच्च न्यायालय ने धरम सिंह मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले पर भरोसा करते हुए कहा कि

परिवीक्षा अवधि, पहले उत्तरदाता को सेवा में पुष्टि माना जाता है। धरम सिंह में इस न्यायालय ने पंजाब शैक्षिक सेवा (प्रांतीय संवर्ग) तृतीय श्रेणी नियम, 1961 के नियम 640 की व्याख्या की। नियमों में निर्धारित किया गया है कि परिवीक्षा की अवधि एक वर्ष होगी और परिवीक्षा की कुल अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। न्यायालय ने दावेदारों को राहत प्रदान की क्योंकि उनकी सेवाओं को तीन 40 '6 (1) से आगे जारी रखा गया था। स्थायी पदों पर कार्य करने वाले या पदोन्नत होने वाले सेवा के सदस्य पहली बार में एक वर्ष के लिए परिवीक्षा पर होंगे।

(3) परिवीक्षा की अवधि पूरी होने पर नियुक्ति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी सदस्य की नियुक्ति की पुष्टि कर सकता है या यदि परिवीक्षा की अवधि के दौरान उसका काम या आचरण उसकी राय में असंतोषजनक रहा है तो वह अपनी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या अपनी परिवीक्षा की अवधि को ऐसी अवधि तक बढ़ा सकता है जो वह उचित समझे या उसे अपने पूर्व पद पर वापस कर सकता है यदि उसे किसी निचले पद से पदोन्नत किया गया था: बशर्ते कि विस्तार सहित परिवीक्षा की कुल अवधि, यदि कोई हो, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

वर्षों और संबंधित नियमों और नियुक्ति पत्र में पुष्टि के किसी भी आदेश को जारी करने का प्रावधान नहीं था। न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दिया:

" 9. विस्तारित अवधि पूरी होने के तुरंत बाद

1 अक्टूबर, 1960 को परिवीक्षा, नियुक्ति प्राधिकरण कर सकता है

उत्तरदाताओं की सेवाओं को समाप्त करना यदि उनका काम या

परिवीक्षा की अवधि के दौरान आचरण की राय में था अधिकारी असंतोषजनक। उनकी सेवाओं को देने के बजाय

परिवीक्षा की विस्तारित अवधि के पूरा होने पर, प्राधिकरण

1963 में कुछ समय तक उन्हें अपने पदों पर बनाए रखा, और अनुमति दी

जो 1 अक्टूबर, 1962 को देय था। नियमों की आवश्यकता नहीं थी उन्हें किसी भी परीक्षा को पास करने या इससे पहले किसी अन्य शर्त को पूरा करने के लिए

पुष्टि करें। वितरण का कोई बाध्यकारी कारण नहीं था

अपनी सेवाओं के साथ और उन्हें अस्थायी कर्मचारियों के रूप में फिर से नियुक्त करें

1 अक्टूबर, 1960 को, और उच्च न्यायालय ने ड्रॉ करने से इनकार कर दिया

यह निष्कर्ष कि उन्हें सेवाओं से इस प्रकार छुट्टी दे दी गई थी और पुनः

नौकरी करते हैं। इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने सही निर्णय दिया

उनके पद। हालांकि नियुक्ति प्राधिकरण पारित नहीं हुआ लिखित में पुष्टि के औपचारिक आदेश, यह होना चाहिए

इसके द्वारा पुष्टि के आदेश पारित किए जाने का अनुमान

उन्हें 1 अक्टूबर के बाद अपने पदों पर बने रहने की अनुमति,

1960. "

(जोर दिया गया)

धरम सिंह के मामले में संविधान पीठ ने कहा कि

परिवीक्षाधीन की सेवाओं का परिवीक्षाधीन की अधिकतम अवधि से परे होना केवल सुसंगत नियम में एक शर्त के अभाव में सेवा की मानित पुष्टि के बराबर होगा जिसमें परिवीक्षाधीन को एक परीक्षा उत्तीर्ण करने या किसी अन्य शर्त को पूरा करने की आवश्यकता होती है। वर्तमान मामले में, नियम 105 (2) पुष्टि के आदेश के जारी होने की पूर्व शर्त के रूप में नियुक्ति प्राधिकारी की संतुष्टि को निर्धारित करता है। इस प्रकार उच्च न्यायालय उन विशिष्ट विशेषताओं पर ध्यान देने में विफल रहा है जो इससे सामने आती हैं।

धरम सिंह में इस न्यायालय का निर्णय।

42. जिस दृष्टिकोण से हमने लिया है, उसमें उच्च न्यायालय ने गलती की है

यह निष्कर्ष निकालते हुए कि पहले प्रतिवादी का मामला सत्य नारायण झावर में गिने गए मामलों की दूसरी श्रेणी में आता है। नियम 105 (2)

दुर्गाबाई देशमुख मेमोरियल एस. आर. एसईसी। स्कूल वी. जे. ए. जे. वासु सेना [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

पुष्टि का आदेश जारी करने के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में नियुक्ति प्राधिकारी की संतुष्टि को निर्धारित करता है। मान लीजिए, नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा पुष्टि का कोई आदेश जारी नहीं किया गया था। प्रथम प्रत्यर्थी का मामला पूरी तरह से सत्य नारायण झावर में गिने गए मामलों की तीसरी श्रेणी के अंतर्गत आता है, जिसमें हालांकि नियम परिवीक्षा की अधिकतम अवधि निर्धारित करते हैं और परिवीक्षाधीन को परिवीक्षाधीन अवधि की समाप्ति के बाद भी जारी रखा जाता है, परिवीक्षाधीन की मूल नियुक्ति नियुक्ति की ओर से एक विशिष्ट अधिनियम के अधीन है।

पुष्टिकरण का आदेश जारी करने का अधिकार। आदेश के अभाव में पुष्टि होने पर, पहले उत्तरदाता ने पुष्टि किए गए कर्मचारी का दर्जा प्राप्त नहीं किया।

निदेशक की पूर्व अनुमति से परिवीक्षा की अवधि बढ़ाएँ। परंतुक में कहा गया है कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षा अवधि के विस्तार के लिए निदेशक की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। एक अल्पसंख्यक संस्थान। प्रावधान के संशोधन के इतिहास से पता चलता है कि 1990 में संशोधन से पहले निदेशक के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं थी। संशोधन नियम 1990 के आधार पर अल्पसङ्ख्यक संस्थानों के मामले में विस्तार को छोड़कर, परिवीक्षा अवधि में किसी भी विस्तार के अनुदान के लिए निदेशक की पूर्व मंजूरी अनिवार्य कर दी गई थी। किसी संस्थान की नियुक्ति के अधिकार के साथ निहित पूर्ण विवेकाधिकार निदेशक के पूर्व अनुमोदन के अधीन किया गया था।

44. निदेशक में निहित शक्ति परिवीक्षाधीन अवधि को बढ़ाने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी के पूर्ण विवेक पर रोक के रूप में कार्य करती है। तथापि, नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध को मंजूरी देने की निदेशक में निहित शक्ति बेलगाम नहीं है। नियम 105 (1) में कहा गया है कि परिवीक्षाधीन की सेवाओं को परिवीक्षाधीन अवधि के दौरान बिना किसी सूचना के समाप्त किया जा सकता है, जहां परिवीक्षाधीन की सेवाएँ नहीं हैं।

नियुक्ति प्राधिकारी की राय, संतोषजनक "। नियम 105 (2) में कहा गया है कि पुष्टि का आदेश जारी किया जा सकता है यदि प्राधिकारी की नियुक्ति, परिवीक्षाधीन का प्रदर्शन संतोषजनक है। निदेशक के विवेकाधिकार का प्रयोग एक परिवीक्षाधीन के प्रदर्शन के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत सामग्री के आधार पर निष्पक्ष रूप से किया जाना चाहिए।

45. अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर निदेशक का पूर्व अनुमोदन अनिवार्य है और एक शर्त के रूप में इसका पालन किया जाना चाहिए।

46. 1973 के नियमों के नियम 105 (1) में दो साल की अधिकतम अनुमेय परिवीक्षा अवधि निर्धारित की गई है। शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए परिवीक्षा की अवधि बढ़ाने में नियुक्ति प्राधिकारी के हित और उनकी सेवाओं में परिवीक्षाधीनों के हितों को परिवीक्षा और उल्टी पर नहीं बढ़ाया जा रहा है। द.

1973 के नियमों के तहत अनुमेय अवधि से परे एक परिवीक्षाधीन की सेवाओं को जारी रखना सीमा के अंतर्निहित हितकारी उद्देश्य को विफल कर देता है।

परिवीक्षाधीन अवधि में प्रभावी हो सकने वाले विस्तार की अवधि पर निर्धारित। परिवीक्षा की अवधि समाप्त होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी को कानून द्वारा या तो परिवीक्षाधीन की सेवाओं की पुष्टि करने या उनकी सेवाओं को समाप्त करने की आवश्यकता होती है। सेवाओं की निरंतरता

1973 के नियमों के नियम 105 के तहत परिवीक्षाधीन प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षाधीन की अधिकतम अनुमेय अवधि से परे नियुक्ति करना कानून का उल्लंघन है। हालांकि जैसा कि हमने माना है, मानित पुष्टि के लिए कोई प्रावधान नहीं है, प्रबंधन के आचरण के परिणामस्वरूप अन्य परिणाम हो सकते हैं, जिसमें इस संबंध में निर्णय भी शामिल है कि क्या एक स्कूल की मान्यता जो लगातार कानून का उल्लंघन करती है, उसे वापस लिया जाना चाहिए। 47. वर्तमान मामले में, 18 जून 2008 के पहले प्रतिवादी के नियुक्ति पत्र में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि परिवीक्षा की अवधि

"शामिल होने की तारीख से एक साल" होना चाहिए। नियम 105 परिवीक्षाधीन अवधि को एक और वर्ष के लिए बढ़ाने का प्रावधान करता है। पहला प्रतिवादी 1 जुलाई 2008 को एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर सेवा में शामिल हुआ। परिवीक्षा की अवधि 1 जुलाई 2009 को समाप्त होनी थी, जिसे नियम 105 के तहत एक साल के लिए बढ़ाया जा सकता था। परिवीक्षा की अवधि 11 फरवरी, 2010 को इस आधार पर एक और वर्ष के लिए बढ़ा दी गई थी कि पहले प्रतिवादी की सेवाएं असंतोषजनक थीं। 30 पर

नवंबर, 2011 में परिवीक्षा की अवधि को एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था।

दुर्गाबाई देशमुख मेमोरियल एस. आर. एसईसी। स्कूल वी. जे. ए. जे. वासु सेना [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

22 मई, 2013 को शिक्षा सोसायटी की प्रबंध समिति ने 30 जून से पहले प्रतिवादी को सेवा से बर्खास्त कर दिया।

48. पहले प्रतिवादी को 1973 के नियमों के नियम 105 के उल्लंघन के साथ-साथ लगभग पांच वर्षों तक परिवीक्षाधीन के रूप में जारी रखा गया था। 18 जून 2008 का नियुक्ति पत्र। पुष्टि का कोई आदेश नहीं था। यद्यपि प्रथम प्रत्यर्थी मानित का दावा नहीं कर सकता है।

पुष्टिकरण के आदेश के जारी किए बिना सेवा की पुष्टि, इस न्यायालय की अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय करने की शक्ति संविधान को उचित तरीके से लागू किया जाना चाहिए। जबकि प्रथम प्रत्यर्थी के पक्ष में कोई मानी गई पुष्टि नहीं हो सकती है, राहत को अनुग्रह मुआवजे के पुरस्कार द्वारा उपयुक्त रूप से ढाला जा सकता है। एक शिक्षक जिसने अपने जीवन के पाँच मूल्यवान वर्ष बिताए हैं और अब कहीं और उपयुक्त रोजगार पाने के लिए अधिक उम्र का हो सकता है, उसे अधर में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। एक प्रबंधन जिसने कानून की अवहेलना की है, उसे शर्तों पर रखा जाना चाहिए, जिसे हम अनुच्छेद 142 के तहत करने का प्रस्ताव करते हैं।

49. हम मानते हैं और घोषणा करते हैं कि:

((i)

1973 के नियम 105 (1) में "एक और वर्ष तक" शब्द

नियम निर्धारित करते हैं कि प्रति चूक योग्य परिवीक्षा की अधिकतम अवधि दो वर्ष है। यह सीमा अल्पसंख्यकों पर समान रूप से लागू होती है।

नियम 105 के पहले परंतुक के अंतर्गत आने वाली संस्थाएं; और

((ख)

नियम 105 (2) एक शर्त पूर्ववर्ती निर्धारित करता है

पुष्टि का आदेश जारी करना। की अवधि से परे एक परिवीक्षाधीन की सेवाओं की निरंतरता
परिवीक्षा एक मानी हुई पुष्टि के बराबर नहीं है

सेवा करते हैं। यह केवल नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पुष्टि के आदेश के जारी होने पर है कि एक परिवीक्षाधीन

सेवा में पुष्टि की जाती है।

50. हम संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए निर्देश देते हैं कि अपीलार्थी

प्रथम उत्तरदाता इस आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर आई. एन. आर. 5,00,000 की राशि, जिसमें विफल रहने पर राशि पर प्राप्ति की तारीख तक प्रति वर्ष 9 प्रतिशत का ब्याज लगेगा।

51. हम दिल्ली उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण की इस हद तक पुष्टि करते हैं कि [2019] 12 एस. सी. आर. के नियम 105 के तहत परिवीक्षा की अधिकतम अनुमेय अवधि।

1973 नियम दो साल के हैं, हालांकि उन कारणों के लिए जो हमने ऊपर बताए हैं। उच्च न्यायालय, वर्तमान मामले में और पूर्व मामलों में, 1973 के नियमों के नियम 105 के संशोधित इतिहास पर ध्यान देने में विफल रहा है और कानून के गलत प्रावधान पर भरोसा किया है। हम स्पष्ट करते हैं कि 1973 के नियमों के नियम 105 के तहत पिछली मुकदमेबाजी जो अंतिम रूप ले चुकी है, उसे फिर से नहीं खोला जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला, जहाँ तक उसने पहले प्रतिवादी की सेवाओं की पुष्टि की है, रद्द कर दिया गया है। उपरोक्त शर्तों में अपील की आंशिक रूप से अनुमति है।

52. हम रजिस्ट्री को इस फैसले की एक प्रति भेजने का निर्देश देते हैं

मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, महापंजीयक, दिल्ली उच्च न्यायालय और शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को अपने अभिलेखों में 1973 के नियमों के नियम 105 के सही प्रावधानों को दर्ज करने के लिए।

53. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

54. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाएगा।

अंकित ज्ञान

अपील

की आंशिक रूप से अनुमति है।